

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक- 483 /22-2, मुरादाबाद ,दिनांक, अगस्त- 30 , 2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय :- लो0नि0वि0 को अलीगढ-मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0 93) के चौडीकरण किये जाने हेतु अलीगढ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी व 250 वृक्षों के पातन बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1-आपका पत्रांक-2456/अलीगढ-मुरादाबाद सेक्शन, दिनांक लखनऊ, मई 20, 2016.
2-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद का पत्रांक-453/14-1, दि0 23-8-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना हैं कि आपके द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारियों ने आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः तदुपरान्त संशोधित प्रस्ताव पुनः संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- 3 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, मेरठ एवं अलीगढ।

2-प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुरादाबाद/सम्भल/अलीगढ/बुलन्दशहर ।

3-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, मुरादाबाद।

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।